न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/94 दायरा दिनांक : 21.06.2023

उनवान

01. बरकत अली उम्र 52 वर्ष पुत्र श्री शमशेर खां
02. अकबर अली उम्र 37 वर्ष पुत्र श्री शमशेर खां
03. साजिद अली उर्फ शहादत खां उम्र 34 वर्ष पुत्र श्री शमशेर खां
04. इकराम अली उम्र 28 वर्ष पुत्र श्री शमशेर खां
जातिगण मुसलमान, निवासीगण मालियों के मन्दिर के पास, सीसवाली तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज०)
05. खैरून्निशा उम्र 48 वर्ष पत्नि श्री अब्दुल रसीद पुत्री श्री शमशेर खां, जाति मुसलमान, निवासी बागर की बगीची, कस्बा बड़ौदा, तहसील बड़ौदा, जिला श्योपुर (म०प्र०)
06. मुर्तजा बानों उम्र 45 वर्ष पत्नि श्री इनायत हुसैन पुत्री श्री शमशेर खां, जाति मुसलमान, निवासी बस स्टेण्ड, भंवरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज०)
07. छन्नू बाई उम्र 42 वर्ष पत्नि श्री असमल भाई पुत्री श्री शमशेर खां, जाति मुसलमान, निवासी गुलजार बाग, कॉलोनी सी.टी. नं0 4 स्कूल के सामने, शहर टोंक जिला टोंक (राज०)
08. भूरी बाई उम्र 70 वर्ष बेवा श्री शमशेर खां, जाति मुसलमान, निवासी मालियों के मन्दिर के पास, सीसवाली तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज०) ... अपीलांट

बनाम

01. बादुल्ला अहमद उम्र 72 वर्ष पुत्र श्री अल्लानूर, जाति मुसलमान
02. यासीन मोहम्मद उम्र 52 वर्ष पुत्र श्री अल्लानूर, जाति मुसलमान
03. चांद मोहम्मद उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री अल्लानूर, जाति मुसलमान
04. हलीमा बाई उम्र 52 वर्ष पुत्री श्री अल्लानूर, जाति मुसलमान
05. सायरा बाई उम्र 50 वर्ष पुत्री श्री अल्लानूर, जाति मुसलमान
निवासीगण सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
06. निसार अहमद उम्र 62 वर्ष पुत्र श्री इलाही बख्श, जाति मुसलमान
07. इस्हाक मोहम्मद उम्र 52 वर्ष पुत्र श्री इलाही बख्श, जाति मुसलमान
08. पीर मोहम्मद उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री इलाही बख्श, जाति मुसलमान
09. शाकिर हुसैन उम्र 23 वर्ष पुत्र श्री इस्हाक मोहम्मद, जाति मुसलमान
10. शाहिल हुसैन उम्र 19 वर्ष पुत्र श्री इस्हाक मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासीगण सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
11. चांद मोहम्मद उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री नूर मोहम्मद, जाति मुसलमान
12. अब्दुल हकीम उम्र 57 वर्ष पुत्र श्री नूर मोहम्मद, जाति मुसलमान
13. अब्दुल हमीद उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री नूर मोहम्मद, जाति मुसलमान
14. जमीला बानों उम्र 65 वर्ष पुत्री श्री नूर मोहम्मद, जाति मुसलमान
15. चांद अख्तर उम्र 53 वर्ष पुत्री श्री नूर मोहम्मद, जाति मुसलमान
निवासीगण सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज०)
16. कौशल्या बाई उम्र 60 वर्ष पत्नि श्री हरिओम, जाति सोनी
17. हरिओम उम्र 70 वर्ष पुत्र श्री बद्रीलाल, जाति सोनी
18. नवनीत उम्र 30 वर्ष पुत्र श्री हरिओम, जाति सोनी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निवासीगण सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
19. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां (राज०) .... रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री धर्मेन्द्र चौधरी रेस्पोडेंट क्रम 1 ल. 8 एवं 13, 14, 15 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : **12.12.2024**

यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां के प्रकरण संख्या 8/2017 निर्णय दिनांक 14.03.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम सीसवाली निजामत मांगरोल जिला बारां के खाता संख्या 461 में पूर्व खातेदार वजीर खां, हसन खां, व नूर मोहम्मद के राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2006 से 2009 में कुल किता 20 रकबा 146 बीघा 15 बिस्वा आराजी दर्ज थी, खाता सं. 461 में दर्ज आराजी में से सिर्फ खसरा नं. 1706 पाटी सरे दोयम 14 बीघा 11 बिस्वा उतार अव्वल 3 बीघा कुल 17 बीघा 11 बिस्वा व खसरा नं. 1715 बूढोमाल उतार अव्वल 9 बीघा 18 बिस्वा के लिए ही यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है, शेष आराजी के लिए नहीं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल ने अपने निर्णय दिनांक 14.03.2022 से वादी का वाद खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांटगण ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नहीं करने में भारी भूल की है। अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध एक वाद बाबत घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का दिनांक 22.03.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया, जिसमें रेस्पोडेन्ट को तलब करके दिनांक 05.12.2018 को स्थगन आदेश जारी किया। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने वाद एक प्रार्थना पत्र धारा 11 सी.पी.सी. का पेश किया जिसमें प्रतिवादीगण ने यह बताया कि इसी न्यायालय में पूर्व वाद, वाद संख्या 39/2012 निर्णय दिनांक 16.06.2016 पेश किया तथा उन्होंने यह भी निवेदन किया कि इस प्रकरण का निर्णय जो 2016 में हुआ है। इस आधार पर इस न्यायालय में यह वाद नहीं चल सकता। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 16.06.2016 का जो निर्णय पेश किया है उसमें तथा इस वाद के पक्षकार भिन्न–भिन्न थे तथा पूर्व वाद धारा 53, 89, 188 आर.टी. एक्ट का था, जबकि यह वाद धारा 88 का भी साथ में है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया तथा यह मानकर कि यह वाद धारा 11 सी.पी.सी. से बाधित है एवं अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया।

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी तथा दीवानी प्रक्रिया संहिता में यह स्पष्ट प्रावधान है कि धारा 11 जो रेसजुडिकेटा का बिन्दू है, वह तथ्यों एवं कानून का मिश्रित प्रश्न है, जो साक्ष्य लेखबद्ध करने के उपरान्त ही तय किया जा सकता है। किन्तु इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने इस सिद्धान्त का पालन नहीं किया,

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जबकि इस प्रश्न पर माननीय राजस्व मण्डल के एक नहीं, कई उदाहरण है। दिनांक 16.06.2016 का जो निर्णय है उसके अन्दर भी पक्षकारों का जवाब नहीं आया था तथा जिस बंटवारे के आधार पर वह निर्णय दिया गया है, उसमें कई सह खातेदार पक्षकार नहीं थे। इस कारण उस निर्णय के तथ्यों पर वादीगण का यह वाद अधीनस्थ न्यायालय का खारिज करना कतई कानून सम्मत नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय को यह चाहिये था कि वह रेस्पोडेन्ट से जवाब दावा लेकर, तनकी बनाकर, साक्ष्य लेखबद्ध करने के उपरान्त धारा 11 सी.पी.सी. की तनकी बनाकर साक्ष्य लेने के बाद ही धारा 11 के प्रार्थना पत्र पर निर्णय करते, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कानून के निर्णय करके अपीलान्ट के साथ भारी अन्याय किया है। खसरा नं. 2674 रकबा 2.84 हेक्टर, खसरा नं. 3672 रकबा 1.51 हेक्टर ग्राम सीसवाली, तहसील मांगरोल की ही विवादित है, जिसके बाबत यह अपील पेश की जा रही है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टगण स्वीकार फरमाकर आदेश दिनांक 14.03.2022 न्यायालय उपजिला कलक्टर, मांगरोल बउनवान बरकत अली वगैरह बनाम बादुल्ला वगैरह दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आर.टी. एक्ट निरस्त फरमाया जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जावें कि इस प्रकरण में रेस्पोडेन्टगण का जवाब दावा लेकर तनकी बनाकर साक्ष्य लेखबद्ध करने के बाद ही अन्य कोई आदेश पारित करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 04.01.2023 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों का दोहराते हुए कथन किया कि हमने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88, 89, 53, 188 का वाद पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी ने रेसज्यूडिकेटा का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसे स्वीकार कर वादी द्वारा प्रस्तुत दावे को खारिज कर दिया गया जो त्रुटिपूर्ण है। रेसज्यूडिकेटा का बिन्दु तथ्यों एवं कानून का मिश्रित बिन्दु है और साक्ष्य लेखबद्ध करना आवश्यक है। अतः अपील स्वीकार की जाकर कर तनकीवार निर्णय हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जाये। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.बी.जे. (25) 2018 पेज 1 की नजीर उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है क्योंकि अपीलांट नं धारा 88, 89, 53, 188 आर.टी.एक्ट का दावा किया था तथा दावे में घोषणा की प्रार्थना नहीं की। घोषणा की प्रार्थना होना आवश्यक है दावे में ऐसा कथन नहीं किया है। अपीलांट ने विभाजन की प्रार्थना की है। इससे पूर्व विभाजन दिनांक 22.12.2010 को सहमति से कैम्प कोर्ट में हो चुका है। अतः धारा 53 का निर्णय हो चुका है। अपील पेश कर दावे में यह तथ्य छुपाये। अपील खारिज हुई है। कलेक्टर के फैसले की अपील संभागीय आयुक्त, कोटा में की जो खारिज हुई कलेक्टर का फैसला यथावत रखा। जिसकी अपील राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी भी हुई जो विचाराधीन है। दिनांक 28.07.2017 को राजस्व

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मण्डल ने निर्णय किया कि पक्षकारों के मध्य अपील संख्या 40/2017 जैरकार है, स्टे जारी किया है। यह पूर्व अपील है जिसकी वर्तमान अपील के साथ क्लब(club) किया। दूसरी अपील 3659 के साथ क्लब(club)। पक्षकारान समान है, प्रकृति समान, भूमि समान, अनुतोष समान है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। जब तक राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन प्रकरण में निर्णय होने तक दूसरा वाद कानूनन पेश नहीं किया जा सकता। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित होने के कारण अपील खारिज की जाये। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2019 (2) आर.आर.टी. पेज 1321, 2019 (1) आर.आर.टी. पेज 417, 2023 (3) सी.जे. (सिविल) पेज 1922 राज. की नजीरे उद्धरत की।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.03.2022 से रेस्पोडेंट प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत धारा–11 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि पूर्व में दिनांक 16/06/2016 को वाद संख्या 39/2012 निर्णित करते हुये तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने निर्णय किया कि "वाद में तहसीलदार मांगरोल द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा पूर्व में प्रशासन गाँव के संग अभियान दिनांक 22/12/2010 को किया जा चुका है एवं राजस्व अभिलेख में दर्ज सहकाश्तकार के मध्य एक सहमति का विभाजन सक्षम अधिकारी द्वारा "स्वीकृत कर नामांतरण, की स्वीकृति दी जा चुकी है। उक्त सहमति विभाजन को आंदिनांक तक किसी भी पक्षकार द्वारा किसी भी अपीलीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है। उक्त सहमति विभाजन आज भी अस्तित्व में है। अतः वादी न्यायालय में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः वाद खारिज किया जाता है।" अतः स्पष्ट है कि पूर्व पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 16/06/2016 को वाद संख्या 39/2012 अंतिम रूप से निर्णित करते हुए निर्णय पारित कर दिया है। पूर्व वाद संख्या 39/2012 एवं वर्तमान वाद संख्या 08/2017 में विवादित आराजी समान है जिसके बंटवारे का निर्णयं आपसी सहमति से प्रशासन गाँव से संग अभियान में दिनांक 22/12/2010 को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णित किया जा चुका है। इस निर्णय की पालना में खोले गये तस्दीक नामान्तरकरण सं. 2488 दिनांक 07/07/2016 के विरुद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 19/2016 को अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30/03/2017 से अपील को सारहीन मानते हुए खारिज किया जा चुका है। अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 30/03/2017 के विरुद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा में प्रस्तुत अपील संख्या 53/2017 अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29/08/2017 से निर्णित करते हुए अपील खारिज की जा चुकी है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वर्तमान अपील में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त आराजी के संबंध में अपीलांट द्वारा न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां के निर्णय दिनांक 30/03/2017 के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी संख्या 3659/2017 दायर की गई, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 28/07/2017 को पारित आदेश के अनुसार विवादग्रस्त आराजी के मौका एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत कायम रखते हुए उक्त निगरानी संख्या 3659/2017 को पक्षकारान के मध्य जैरकार एक अन्य अपील संख्या 4045/2017 के साथ क्लब (club) करने के आदेश पारित किये हैं। इससे भी यही स्पष्ट होता है कि पक्षकारों के मध्य विवादग्रस्त आराजी को लेकर नियमित वाद एवं अपीले विभिन्न न्यायालय में जैरकार रही है। अपीलांट वादी द्वारा वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्या 08/2017 में वादग्रस्त आराजी के बंटवारे एवं स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना प्रस्तुत की गई। विवादग्रस्त आराजी का बंटवारा पूर्व में आपसी सम्मति से निर्णय दिनांक 22/12/2010 से किया जा चुका है एवं नामान्तरकरण संख्या 2488 दिनांक 07/07/2016 को तस्दीक हो चुका है जिसे दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा विधिवत माना है। उपरोक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम अपील के इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.03.2022 को पारित निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते क्योंकि विवादग्रस्त भूमि का बंटवारा पूर्व में हो चुका है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 सी.पी.सी. को स्वीकार कर विधिवत रूप से वादी अपीलांट का दावा खारिज किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/12/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा